

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक एफ 9(4)(10) छात्र पो / सान्याअधि / 2019-20 / 2102

दिनांक 29-7-2020

रजिस्ट्रार/डीन/प्रशासक/निदेशक
राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल,
राजस्थान

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC /SBC/EBC/CM/ DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों सत्र 2018-19 एवं 2019-20 की मान्यता/सम्बद्धता सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उक्त सत्र की मान्यता/सम्बद्धता समय से जारी नहीं की गई थी। जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया था।

वर्तमान में छात्रवृत्ति पोर्टल पर कई शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्र 2018-19 एवं 2019-20 की मान्यता/सम्बद्धता की प्रति अपलोड की गई है जिन्हें विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल के लॉगिन में प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः आपके विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल के अधीन संचालित शिक्षण संस्थान की संबंधित सत्र की मान्यता/सम्बद्धता को शीघ्र सत्यापित करने का श्रम करें ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। यहां उल्लेखनीय है कि नियत अवधि में शिक्षण संस्थाओं को मान्यता/सम्बद्धता जारी अथवा छात्रवृत्ति पोर्टल में सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में न्यायालय/आयोग द्वारा यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति संबंधी देयता का निर्धारण किया जाता है तो सम्पूर्ण देयता संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल की होगी। छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनियमित महाविद्यालय पंजीकृत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

(ओ.प.क.सिंह बुनकर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
दिनांक

क्रमांक एफ 9(4)(10) छात्र पो / सान्याअधि / 2019-20 /

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / गृह विभाग / चिकित्सा विभाग / कृषि विभाग / युवा एवं खेल मामलात विभाग / आयुर्वेद विभाग / शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. समस्त राजकीय / निजी शिक्षण संस्थाएं.....।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)